सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 17, शनिवार, *शाके* 1942–फरवरी 6, 2021 *Magha 17, Saturday, Saka 1942- February 6, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वित्त (आबकारी) विभाग

आज्ञा

जयपुर, फरवरी 06, 2021

संख्या प4(1)वित्त/आब/2021 :-राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2021-22 निम्नानुसार निर्धारित एवं आदेशित की गई है:-

प्रस्तावना

मद्य संयम के तहत वित्तीय, सामाजिक एवं सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से निम्नलिखित उददेश्यों की प्राप्ति हेतु सरकार प्रतिबद्ध हैः-

सामाजिक

उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त उत्पाद उपलब्ध करवाना तथा मदिरा के बढ़ते प्रचलन को हतोत्साहित करना।

उत्तरदायित्व

आमजन में शराब के दुष्प्रभावों को प्रचारित करना एवं मदिरा उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करना ताकि हथकड़ व अवैध मदिरा के स्थान पर उच्च गुणवत्तायुक्त मदिरा का उपभोग कर सकें।

वित्तीय

राजस्व के ह्रास को इस नीति में निहित प्रावधानों एवं निरोधात्मक गतिविधियों द्वारा रोकना।

(1) अवधि:-

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष 2021-22 (दिनांक 1-4-2021 से दिनांक 31-3-2022) के लिये होगी। वर्ष 2022-23 के लिये वर्ष 2021-22 की न्यूनतम रिजर्व प्राइस (आबकारी नीति 2021-22 के बिन्दु संख्या 2.3 के अनुसार) को 25 प्रतिशत बढ़ाकर नवीनीकरण किया जा सकेगा। आबकारी ड्यूटी एवं अन्य फीस की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार उपयुक्त समय पर निर्णय लेगा।

आबकारी एवं मद्य संयम नीति 2021-22 में किये गये बदलाव जिसका प्रभाव राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या अन्य आबकारी से सम्बन्धित विधियों, अधिनियमों, नियमों तथा उप-नियमों तक है, उनका सम्बन्धित विधियों/नियमों/उपनियमों में संशोधन कर अधिसूचित किया जाकर गजट में प्रकाशन किया जावेगा।

(2) बन्दोबस्त की प्रणाली: देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन:-

वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

2.1 देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) एवं बीयर के वर्ष 2021-22 के अनुज्ञापत्र दुकानवार न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारित कर नीलामी प्रक्रिया से अधिकतम कीमत के अनुसार प्राप्त वार्षिक गारण्टी राशि पर प्रदत्त किये जायेंगे।

2.2 वर्ष 2021-22 के लिये बन्दोबस्त हेतु ऑनलाईन नीलामी की जायेगी, जिसमें संबंधित आवेदकों को यथासमय आवश्यक निर्धारित आवेदन राशि का भुगतान कर पंजीकरण कराके ऑनलाईन नीलामी में भाग लिया जाना है। राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. जो कि राज्य सरकार के मदिरा होलसेलर है, वे भी मदिरा दुकानों के ऑनलाईन नीलामी में भाग ले सकेंगे एवं संचालन कर सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश आबकारी आयुक्त, राजस्थान द्वारा जारी किये जायेगें, जिन्हें विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा।

2.3 मदिरा दुकानों के प्रत्येक जिले में विवेकीकरण एवं पुर्नगठन की कार्यवाही करके आबकारी आयुक्त द्वारा प्रत्येक दुकान हेतु न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण किया जायेगा।

न्यूनतम रिजर्व प्राईस का निर्धारण देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि तथाभारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी की राशि का योग कर तय की जायेगी।

न्यूनतम रिजर्व प्राईस निर्धारण के लिये देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के लिये वर्ष 2020-21 की वार्षिक एकाधिकार राशि तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी वर्ष 2019-20 को आधार मानते हुए तथा इनमें 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए किया जायेगा।

2.4 नीलामी प्रक्रिया में न्यूनतम रिजर्व प्राईस पर ऑनलाईन बोली में अधिकतम राशि देने वाले बोलीदाता को सफल आवेदक के रूप में चयन किया जायेगा, परन्तु एक व्यक्ति एक जिले में दो दुकानों से अधिक एवं सम्पूर्ण राज्य में पांच दुकानों से अधिक नहीं ले सकेगा। यह शर्त राज्य सरकार के मदिरा होलसेलर राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लि. पर लागू नहीं होगी।

2.5 दुकानों का गठन एवं संख्या:-

2.5.1 वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन के कुल दुकानों की संख्या को पूर्व वर्ष की तरह यथावत रखा जाता है। वर्तमान में पूर्व वर्ष में निर्धारित कम्पोजिट एवं देशी मदिरा की दुकानों की संख्या 6665 तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों की संख्या 1000 को मिलाकर कुल दुकानों संख्या पूर्व की भाँति 7665 ही रहेगी। यह समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी।

2.5.2 राजस्थान पर्यटन विकास निगम को उनके उपलब्ध परिसर में रिटेल ऑफ दुकानों को स्थापित करने की अनुमति दी जायेगी। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा सकेंगे।

2.5.3 राज्य में पूर्व की भांति राजस्थान पर्यटन विकास निगम अथवा आरएसबीसीएल आदि सरकारी विपणन संस्थाओं के माध्यम से आवष्यकतानुसार पी.ओ.एस. मशीन से बिल की तथा एसी आदि की सुविधायुक्त दुकानों की स्थापना की जावेगी जहां समस्त प्रकार की मदिरा उपलब्ध रहेगी। जिससे उपभोक्ताओं को निर्धारित मूल्य एवं सही गुणवत्ता की मदिरा उपलब्ध हो।

2.6 दुकानों एवं गोदाम की अवस्थितिः-

2.6.1 सिविल अपील संख्या 12164-12166 राज्य बनाम के बालू. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक पारित निर्णय दिनांक 15.12.2016 तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 12179/2016 में पारित निर्णय दिनांक 31.03.2017 की तथा उक्त की निरन्तरता में स्पेशल लीव पिटीशन (सिविल संख्या 10243 ऑफ 2017 अराई सेफ सोसायटी ऑफ चण्डीगढ़ बनाम द यूनियन टेरिटेरी ऑफ चण्डीगढ व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.07.2017 एवं सिविल अपील संख्या 12164-12666 ऑफ 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 23.02.2018 के क्रम में राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गो (National highways and State highways) पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मदिरा दुकान की अवस्थिति के संबंध में निर्धारित प्रतिबन्धित दूरी की पालना सुनिश्चित की जायेगी।

2.6.2 वर्ष 2016-17 की आबकारी नीति के अनुरूप मदिरा भण्डारण के लिये निर्धारित वार्षिक फीस जमा कराने पर प्रत्येक दुकान हेतु एक गोदाम की अनुमति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 15-12-2016 के अध्यधीन दी जा सकेगी। गोदाम हेतु दुकान के लिए 1 लाख रूपये वार्षिक फीस देय होगी। इसमें शहरी क्षेत्र में अपने विक्रय काउंटर (दुकान) के 100 मीटर परिधि में तथा ग्रामीण क्षेत्र में सुविधानुसार जहां दुकान का लोकेशन दिया गया है, उस राजस्व ग्राम में उपलब्ध स्थल पर अनुमत किये जा सकेगे, परन्तु दुकान के लिये में कोई भी गोदाम की अवस्थिति की स्वीकृति पड़ोस के अन्य समूह के लिए स्वीकृत गोदाम/दुकान से लगता हुआ गोदाम नहीं खोला जा सकेगा। उनकी पड़ोस के गोदाम/दुकान से न्यूनतम 500 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा एवं शहरी क्षेत्र की दुकान का गोदाम उनकी पड़ोस की गोदाम/दुकान से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी से कम दूरी पर स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

2.6.3 समस्त गोदामों तथा दुकानों के लोकेषन ऑनलाईन स्वीकृत किये जायेंगे। उनके जीओ टेग के कॉरडिनेट डाटा को आनलाईन फीड करके आस पास के विद्यालय, धार्मिक स्थल, आंगनवाडी तथा अस्पताल आदि को शामिल किया जाकर उनकी स्थिति स्पष्ट अंकित करनी होगी।

2.7 आवेदन शुल्क एवं अमानत राशिः-

2.7.1 मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः-

श्रेणी	आवेदन शुल्क (रूपये)	अमानत राशि (रूपये)
वर्ष 2021-22 के लिए 50 लाख रूपये तक न्यूनतम रिर्जव प्राईस वाली दुकान	40,000/-	50,000/-
वर्ष 2021-22 के लिए 50 लाख रूपये से अधिक एवं 2 करोड़ रूपये तक न्यूनतम रिर्जव प्राईस वाली दुकान	50,000/-	1,00,000/-
वर्ष 2021-22 के लिए 2 करोड़ रूपये से अधिक न्यूनतम रिर्जव प्राईस वाली दुकान	60,000/-	2,00,000/-

आवेदन शुल्क प्रत्येक दुकान के लिये पृथक-पृथक देय होगा जो कि अप्रतिदेय (Non-refundable) होगा।

2.7.2 अमानत राशि **(Earnest Money)**

प्रत्येक दुकान के लिये वर्ष 2021-22 के लिये उपरोक्त बिन्दु संख्या 2.7.1 के अनुसार अमानत राशि निर्धारित की जाती है, जो कि आवेदन के साथ जमा कराई जानी है। अनुज्ञापत्र हेतु चयनित आवेदक द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि को धरोहर राशि पेटे समायोजित किया जा सकेगा। असफल आवेदकों द्वारा जमा कराई गई अमानत राशि संबंधित आवेदक को लौटा दी जायेगी।

2.8 न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण:-

2.8.1 वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारणः- वर्ष 2021-22 में प्रचलित देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन समूहों के लिये न्यूनतम रिजर्व प्राईस राशि का बिन्दु संख्या 2.3 के अनुसार विवेकीकरण किया जाकर निर्धारित की जायेगी। दुकानवार नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली सम्बन्धित दुकान के लिये **वार्षिक गारण्टी राशि** के रूप में निर्धारित की जायेगी। जिसे 12 महीनों में बराबर-बराबर बांटी जायेगी एवं तद्नुसार मदिरा का उठाव करना होगा।

इस सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि दुकानवार न्यूनतम रिजर्व प्राइस में देशी मदिरा व राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), की आबकारी ड्यूटी तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाइन की आबकारी ड्यूटी व अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी का विवरण स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जायेगा। नीलामी से प्राप्त अधिकतम बोली जो कि **वार्षिक गारण्टी राशि** होगी उसमे भी देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी का अनुपात न्यूनतम रिजर्व प्राइस में जो अनुपात है उसी के अनुसार होगा। इनका आपूर्ति प्रतिशत आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के अनुसार होगा।

2.8.2 वर्ष 2021-22 में प्रचलित देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा, बीयर एवं वाईन के मासिक उठाव के लिये जमा कराये गये आबकारी ड्यूटी का भराव सम्बन्धित वर्ष के लिये निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** पेटे दिया जायेगा।

प्रत्येक अनुज्ञाधारी को एक त्रैमास में निर्धारित वार्षिक राशि के प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर उस त्रैमास हेतु निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की शेष राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

2.8.3 वित्तीय वर्ष 2021-22 देशी मदिरा एवं RML विक्रय मात्रा लगभग 34.17 करोड़ बल्क लीटर होने की संभावना है। इस मात्रा में आबकारी ड्यूटी कान्यूनतम 50 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान निर्मित देशी मदिरा (RML) का होगा। दुकानवार देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की आबकारी ड्यूटी की राशि का निर्धारण एवं वितरण आबकारी जिलों के मध्य गत वर्षों में हुए बन्दोबस्त, गारन्टी पूर्ति तथा देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के उठाव के आंकड़ों, जनसंख्या तथा अन्य आर्थिक पहलुओं के आधार पर युक्तिकरण कर किया जावेगा।

2.8.4 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दुकान का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में संबंधित दुकान की न्यूनतम रिजर्व प्राईस का पुनः निर्धारण किया जायेगा।

2.9 अग्रिम वार्षिक गारण्टी राशिः-

2.9.1 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2021-22 के लिये **वार्षिक गारण्टी राशि** का 8 प्रतिशत राशि अग्रिम **वार्षिक गारण्टी राशि** के रूप में दिनांक 01.04.2021 से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

2.9.2 इस 8 प्रतिशत अग्रिम **वार्षिक गारण्टी राशि** का वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह फरवरी में 3 प्रतिशत राशि तथा माह मार्च में 5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक राशि पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम हेतु देय आबकारी ड्यूटी अथवा मासिक राशि में समायोजन किया जा सकेगा।

2.10 धरोहर राशि:-

2.10.1 वर्ष 2021-22 के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का 4 प्रतिशत राशि, धरोहर राशि के रूप में आवेदन की शर्तों के अनुरूप राजकोष में जमा करानी होगी।

(3) देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)

3.1 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा **(RML)** उत्पादन एवं आपूर्ति अनुपातः-

3.1.1 वर्ष 2021-22 में 40, 50, 60 यू.पी. ईएनए/रेक्टिफाईड स्प्रिट देशी मदिरा तथा ''राजस्थान निर्मित मदिरा' **(RML)** 25 यूपी तेजी की मदिरा जो ईएनए निर्मित होगी, जिसका उत्पादन एवं आपूर्ति निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया हैः-

राजस्थान निर्मित मदिरा **(RML)** 25 यु.पी. की ईएनए से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त मदिरा होगी जिसमें व्हिस्की, रम, वोदका, जिन आदि के ब्रांड होंगें, जिनका राजस्थान में स्थित देशी मदिरा का उत्पादन व बोटलिंग करने वाली ईकाईयां द्वारा ही उत्पादन एवं आपूति की जा सकेगी। उत्पादन एवं आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं होने पर इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक निर्णय लिया जा सकेगा। राजस्थान निर्मित मदिरा **(RML)** हेतु विशिष्ट उल्लेख के अलावा अन्य प्रावधान देशी मदिरा के लगेंगे।

3.1.2 राज्य के मद्य संयम नीति की पालना हेतु एवं उपभोक्तओं को सस्ती व उच्च गुणवत्ता की राजस्थान निर्मित मदिरा **(RML)** का हिस्सा कुल वार्षिक गारण्टी राशिमें निर्धारित देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा **(RML)** के अनुपात का 50 प्रतिशत न्यूनतम रखा जाता है। शेष 50 प्रतिशत हिस्सा देशी मदिरा का होगा जिसमें से 50/60 यूपी का हिस्सा न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा 40 यूपी की देशी मदिरा का 60 प्रतिशत हिस्सा होगा।

40 यूपी से कम तेजी की देशी मदिरा जोकि न्यून मात्रा में आपूर्ति की जाती है को भी देशी मदिरा की उठाव में शामिल किया जायेगा।

देशी मदिरा में कम तेजी की 60 यूपी मदिरा को प्राथमिकता से उठाव एवं विक्रय का प्रयास किया जायेगा तथा इसके कम हानिकारक होने का मदिरा उपभोक्ताओं को जागरूक किया जायेगा। आबकारी आयुक्त इस हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

3.1.2.1 अनुज्ञाधारी द्वारा किसी माह में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) निर्धारित मासिक राशि की पूर्ति उक्त अनुपात में नही करने की स्थिति में संबंधित त्रैमास के अन्य माह/माहों में देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से समायोजन होगा।

3.1.2.2 एक त्रैमास में निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** के प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव करने पर अनुज्ञाधारी को उस त्रैमास हेतु निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की शेष राशि एवं बेसिक लाईसेंस फीस पृथक से नकद जमा करवानी होगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

3.1.2.3 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की राशि में निर्धारित मात्रा के प्रतिशत के उठाव से किये जाने की शर्त में राज्य के लिये निर्धारित अनुपात को बनाये रखते हुये, जिला विशेष के

लिये देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) की तेजी के प्रकार के उठाव में आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी।

3.1.3 40, 50 एवं 60 यू.पी. की मदिरा की 180 मिली धारिता पात्र की आपूर्ति पेट/ग्लास/ एसेप्टिक ब्रिक पैक में की जा सकेगी तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (आरएमएल) की धारिता 180 मिली में होगी जो ग्लास पात्र तथा एसेप्टिक ब्रिक पैक में अनुमत होगी एवं अन्य धारिता की आपूर्ति ग्लास पात्र में ही की जायेगी।

3.1.4 निजी डिस्टलरीज, बोटलिंग प्लांट एवं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा निर्मित देशी मदिरा की कुल आपूर्ति में ग्लास/एसेप्टिक ब्रिक पैक पात्र का न्यूनतम प्रतिशत की शर्त समाप्त की जाती है। सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता बाजार की मांग के अनुसार आपूर्ति के लिये स्वतंत्र है।

3.1.5 राजस्थान गंगानगर शुगर मिल द्वारा उत्पादित चन्द्रहास, सौंफ, जगमोहन, रोयलकेशर, रोयलरोज और मवालिन ब्राण्ड की मदिरा आर.एस.जी.एस.एम. के डिपो के माध्यम से भी विक्रय किये जायेगे। इसके विस्तृत दिशा-निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगे।

3.1.6 वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम 40 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 60 प्रतिशत होगा। निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लांट के संयुक्त रूप से न्यूनतम 60 प्रतिशत हिस्से में से निजी बोटलिंग प्लांट का हिस्सा न्यूनतम 12 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.1.7 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से भी देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मिदिरा (RML) मदिरा भराई करवा सकेगा।

3.1.8 देशी मदिरा का आयात:-

वर्ष 2020-21 की व्यवस्था के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।

3.1.9 देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव:- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के बोटलर्स के द्वारा शोधित प्रासव का आयात अन्य राज्यों से किया जाता है। शोधित प्रासव के आयात में ग्रेन आधारित एवं मोलासेस आधारित शोधित प्रासव का अनुपात यथावत क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

3.1.10 वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) तथा देशी मदिरा का मासिक राशि की पूर्ति का 100 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक राशि के 100 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 40 प्रतिशत छूट दी जायेगी। जिसका प्रति त्रैमासिक आधार पर आगणित किया जावेगा परन्तु इसके साथ ही राजस्थान निर्मित मदिरा का न्यूनतम

50 प्रतिशत उठाव होना आवश्यक होगा। यह छूट मासिक राशि के 150 प्रतिशत अधिकतम तक ही छूट मिलेगी तथा आगामी वर्ष में दुकान/समुह के वार्षिक गारण्टी राशि निर्धारण में इसको सम्मिलित नहीं किया जावेगी।

3.1.11 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट/ग्लास बोतल/ एसेप्टिक ब्रिक पैक की गुणवत्ता के विषय में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

3.2 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा का थोक निर्गम मूल्य:

3.2.1 वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा की उक्त तीनो श्रेणियों की मदिरा का थोक निर्गम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

क्र. सं	मदिरा की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रुपये में)		
		ग्लास	पेट	एसेप्टिक ब्रिक पैक
देशी मदिरा रेक्टीफाईड स्प्रिट				
1.	40 यू.पी.	525	475	525
2.	50 यू.पी.	--	442	457
3.	60 यू.पी.	--	320	320
राजस्थान निर्मित मदिरा (ENA)				
1.	25 यू.पी.	620	--	610

3.2.2 थोक निर्गम मूल्य में थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन भी सम्मिलित है। देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के निर्गम मूल्य में एथेनॉल/स्प्रिट की बढ़ती मांग व मूल्य की दशा में आवश्यक होने पर संशोधन राज्य सरकार द्वारा किये जा सकेंगे।

3.2.3 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्चों के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अद्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है। देशी मदिरा (RS) के निर्धारित मूल्य के आधार पर वर्ष 2020-21 में देशी मदिरा (ENA) के पव्वा, अद्धा एवं बोतल का मूल्य निर्धारण भी आबकारी आयुक्त द्वारा किया जाता है, जिस व्यवस्था को यथावत रखा जाता है।

3.2.4 वर्ष 2021-22 के लिये वर्ष 2020-21 के अनुरूप ही 40 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से ''स्ट्रोंग मदिरा'' अंकित किया जाना तथा 50 एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय यथावत रखा जाता है।

3.2.5 मासिक राशि के कोटे को अन्य अनुज्ञाधारी को स्थानान्तरित करने की व्यवस्था- मासिक राशि की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में एक अनुज्ञाधारी अपने समान अन्य अनुज्ञाधारी को अपने बुनियादी अंश (Basic Quota) के त्रैमासिक आधार पर अपने कोटे के अंश विषेष को स्थानान्तरित करने की अनुमति दी जा सकेगी। इस बाबत बिक्री की शर्तें अंश विशेष को प्राप्त करने वाले अनुज्ञाधारी तथा अंष विशेष को देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा पारस्परिक आधार पर तय की जा सकेगी। स्थानान्तरित मात्रा को देने वाले के कोटे से कम किया जावेगा परन्तु

मासिक राशि में कोई बदलाव नहीं किया माना जायेगा। इस प्रकार के कोटे का आपसी स्थानान्तरण ऑनलाईन स्वतः स्वीकृत किया जाने की व्यवस्था की जावेगी। इस प्रकार के कोटे के स्थानान्तरण हेतु देशी मदिरा के लिए 10 रूपये प्रति बल्क लीटर राजकोष में कोटा देने वाले अनुज्ञाधारी द्वारा ट्रांसफर फीस के रूप में जमा कराना होगा, परन्तु, उपर्युक्त प्रावधान सम्बन्धित आबकारी जिले में ही स्थानान्तरण अनुमत होगा।

परन्तु उक्त स्थानान्तरित कोटे की मात्रा देने वाले अनुज्ञाधारी के कोटे की मात्रा उसके वार्षिक गारण्टी राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक नहीं हो सकेगा। साथ ही कोई भी ऐसी मात्रा प्राप्त करने वाला अनुज्ञाधारी भी अपने वार्षिक गारण्टी राशि के 20 प्रतिशत की मात्रा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकेगा। आगामी वर्ष में वार्षिक गारण्टी राशि निर्धारण में इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा।

3.3 देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मिम मदिरा पर आबकारी ड्यूटी एवं शुल्कः-

3.3.1 वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा तथा राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) पर आबकारी शुल्क तथा बेसिक लाईसेंस फीस निम्नानुसार तय की जाती हैः-

क्र. सं	मदिरा का प्रकार	आबकारी शुल्क प्रति एलपीएल राशि रूपयों में	ाईसेंस फीस प्रति बल्क लीटर (राशि रूपयों में)
1	देशी मदिरा	175	44
2	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML)	185	105

3.3.2 बेसिक लाईसेंस फीस की वसूली मदिरा दुकानों से मदिरा क्रय करते समय आबकारी ड्यूटी के साथ की जावेगी।

3.3.3 राजस्थान निर्मित मदिरा पर आबकारी ड्यूटी निर्माता एवं आपूर्तिकताओं द्वारा राजकोष में अग्रिम भुगतान करना होगा एवं रिटेलर्स से वसूली एवं निर्माताओं तथा आपूर्तिकर्ताओं को पुर्नभरण RSGSM द्वारा किया जायेगा। विस्तृत दिशा-निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगे।

3.3.4 राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एवं देशी मदिरा हेतु न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को भी तय किया जाने का प्रावधान किया जाता है। इस अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य के साथ साथ न्यूनतम विक्रय मूल्य में भी फुटकर विक्रेता का मार्जिन शामिल किया गया है। उक्त दोनों मूल्यों को लेबल पर बडे एवं स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जावेगा। अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक पर बेचान पर कड़ी कार्रवाही का प्रावधान रहेगा।

3.3.5 वर्ष 2021-22 में देशी मदिरा (ईएनए तथा रेक्टीफाईड स्प्रिट से निर्मित) ग्लास/पेट /एसेप्टिक ब्रिक पैक एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) के ग्लास/एसेप्टिक ब्रिक पव्वों का न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता हैः-

क्र.सं.	देशी मदिरा /राजस्थान निर्मित मदिरा	180 एमएल निप्स का न्यूनतम फुटकर विक्रय	180 एमएल निप्स का अधिकतम फुटकर विक्रय

		मूल्य (राशि रूपयों में)	मूल्य (राशि रूपयों में)
1.	आरएस निर्मित 40 यूपी ग्लास	48	57
2.	आरएस निर्मित 40 यूपी पेट	46	55
3.	आरएस निर्मित 50 यूपी पेट	41	49
4.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) एसेप्टिक ब्रिक पेक में	70	84
5.	राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) ग्लास पात्र में	71	85
6.	आरएस निर्मित 40 यूपी एसेप्टिक ब्रिक पेक में	48	57

3.3.6 वर्ष 2021-22 हेतु देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के परमिट फीस की दर को एक रूपया प्रति बल्क लीटर रिटेलर्स के लिये यथावत रखा जाता है। देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा के सभी आपूर्तिकर्ताओं के लिये भी परमिट फीस दो रूपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित की जाती है।

(4) कम्पोजिट फीस:-

4.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों एवंसमस्त शहरी क्षेत्रों में सभी दुकान चूंकि देशी मदिरा, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवंवाईन का विक्रय एवं आपूर्ति हो सकेगी अतः राज्य की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी।

4.2 (i) वर्ष 2021-22 के लिये मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2019-20 की भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) की 7 प्रतिशत होगी। मदिरा की वे दुकानें जिनको वर्ष 2021-22 से पूर्व भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर विक्रय की अनुमति नही थी उनके लिये कम्पोजिट फीस वर्ष 2021-22 के लिये विवेकीकरण करके गणना की गई अनुमानित एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि का 7 प्रतिशत होगा।

(ii) वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये निर्धारित कम्पोजिट फीस 31 मार्च 2021 तक राजकोष में जमा कराई जानी आवश्यक होगी।

(iii) नवगठित दुकानों की कम्पोजिट फीस का विवेकीकरण आवश्यकता होने पर राज्य सरकार की अनुमति से आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

(iv) एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) की गणना निम्नानुसार की जायेगी: किसी भी दुकान के अनुज्ञाधारी द्वारा उस दुकान के लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु

आर.एस.बी.सी.एल को वित्तीय वर्ष 2019-20 में दुकान/समूह की सभी कम्पोजिट दुकानों के लिये कुल अदा की गई राशि मय विवेकीकरण के (Including all levies, VAT and SVF) वर्ष 2021-22 के लिये एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि मानी जायेगी।

4.3 जिस दुकान की कम्पोजिट फीस रूपये 50 लाख से अधिक है ऐसे दुकान हेतु प्रति त्रैमास के लिये अपने निर्धारित कोटे से न्यूनतम 5 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक भा.नि.वि.म./बीयर के उठाव किये जाने पर, उनके द्वारा अधिक उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क का प्रावधान किया जाकर अधिक उठाई गयी मात्रा पर निम्नानुसार प्रतिशत में अतिरिक्त आबकारी छूट देय होगा एवं अधिक उठाई गई मात्रा को आगामी कम्पोजिट फीस में नहीं जोड़ा जावेगा।

क्र.सं.	कम्पोजिट फीस	बीयर पर अतिरिक्त उठाव पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रतिशत में	भा.नि.वि.मदिरा पर अतिरिक्त उठाव पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क प्रतिशत में
1	50 लाख से 1 करोड तक	30	30
2	1 करोड़ से 1.5 करोड़	20	20
3	रू. 1.5 करोड़ से अधिक	10	10

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के 950 रूपये तक ई.डी.पी. वाले ब्राण्ड पर अतिरिक्त आबकारी डयूटी में उपरोक्त क्रम संख्या 1 के लिये 20 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा। इस सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर सकेंगें।

4.4 वित्तीय वर्ष के दौरान किसी दुकान का पुनः बन्दोबस्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित दुकान की कम्पोजिट फीस का पुनःनिर्धारण किया जायेगा।

4.5 कम्पोजिट फीस का अनुपातिक आधार पर बन्दोबस्त करने तथा उसकी स्वीकृति राज्य सरकार देगी।

4.6 जिन समूहों में वर्ष 2021-22 हेतु कम्पोजिट शुल्क की राशि रूपये 1.00 करोड़ से अधिक है उनको कम्पोजिट शुल्क की 50 प्रतिशत राशि दुकान प्रारम्भ करने से पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी तथा शेष 50 प्रतिशत राशि आगामी तीन माह की अवधि में समान तीन किश्तों जमा करानी होगी।

(5) भारत निर्मित विदेशी मदिरा:

5.1 वर्ष 2021-22 के बन्दोबस्त में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी दुकानों पर देशी मदिरा एवं राजस्थान निर्मित मदिरा (RML), भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL), बीयर एवं वाईन विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी एवं उनका बन्दोबस्त आबकारी नीति 2021-22 के बिन्दू संख्या 2 के अनुसार किया जायेगा।

5.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा सहित समस्त प्रकार की मदिरा के लिये वार्षिक गारण्टी राशि का निर्धारण आबकारी नीति 2021-22 के बिन्दू सूख्या 2.8.1 में उल्लेखित की गयी है। तदनुसार प्रत्येक अनुज्ञाधारी को एक त्रैमास में निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** के प्रतिशत से कम मदिरा का उठाव

करने पर उस त्रैमास हेतु निर्धारित **वार्षिक गारण्टी राशि** की शेष राशि पृथक से नकद जमा करवानी होगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेगें।

5.3 स्पेशल वेण्ड फीस तथा वार्षिक लाईसेन्स फीस की समाप्ति:-

5.3.1 वर्ष 2020-21तक भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर के निर्गमन पर वसूलनीय स्पेशल वेण्ड फीस जो कि क्रमशः 10/- रूपये एवं 5/- रूपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित है को वित्तीय वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में समाप्त किया जाता है। इसके लिये उठाव में भी किसी प्रकार का समायोजन देय नहीं होगा।

5.3.2 वर्ष 2021-22 में शहरी क्षेत्रों में भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों से ली जाने वाली वार्षिक लाईसेन्स फीस को समाप्त किया जाता है।

5.4 भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर आबकारी ड्यूटी:-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/विदेशी आयातित मदिरा (BIO) पर आबकारी ड्यूटी/होलसैल लाईसेन्स फीस वर्तमान में विभिन्न 12 स्लेब्स में निर्धारित है जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः-

क्र.सं.	एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी ड्यूटी/फीस की दर
1.	रूपये 451 से 600 रूपये रू	120+(0.17 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर परन्तु न्यूनतम 195/- प्रति प्रुफ लीटर
2.	रू. 600 से अधिक तथा 750 तक	रू. 109+(0.24x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
3.	रू. 750 से अधिक एवं 950 तक	रू. 225+(0.08x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
4.	रू. 950 से अधिक एव 1150 तक	रू. 237+0.07x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
5.	रू. 1150 से अधिक एव 1350 तक	रू. 264+(0.05x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
6.	रू. 1350 से अधिक एव 1550 तक	रू. 293+(0.03x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रूफ लीटर
7.	रू. 1550 से अधिक एव 3100 तक	रू. 400 /- प्रति प्रुफ
8.	रू. 3100 से अधिक एव 8000 तक	रू. 500/- प्रति प्रुफ लीटर
9.	रू. 8000 से अधिक एव 10000 तक	35 प्रतिशत एड-वेलोरम अथवा रू. 500/- प्रति एल.पी.एल. जो भी अधिक हो।
10.	रू. 10000 से अधिक एव 25000 तक	40 प्रतिशत एड-वेलोरम
11.	रू. 25000 से अधिक एव 50000 तक	45 प्रतिशत एड-वेलोरम

12.	रू. 50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड-वेलोरम

5.5 भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी:-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी आबकारी नीति 2021-22 के बिन्दू संख्या 5.4 में उल्लेखित सारणी के क्रम संख्या 1 से 3 पर 35 प्रतिशत एवं शेष पर 45 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

5.6 वाईन की पैकेजिंग:-

वर्तमान में वाईन ग्लास पैकेजिंग में ही अनुमत है। वाईन पैकेजिंग, उत्पादन एवं विक्रय सभी धारिताओं में एसेप्टीक ब्रिकस पैक में भी हो सकेगा।

(6) आबकारी ड्यूटी, फीस एवं सरचार्ज में अन्य सामान्य संशोधन:-

6.1 बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी:-

वर्तमान में बीयर पर अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी एक्स-ब्रूवरी प्राइस पर स्लैब के आधार पर 55 प्रतिशत एवं 45 प्रतिशत की दर से निर्धारित है। जिसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये 270 रूपये तक एक्स बुरवरी प्राईस (EBP) एवं 270 रूपये से अधिक एक्स ब्रुअरी प्राईस (EBP) वाले बीयर ब्रान्ड पर क्रमशः 45 प्रतिशत एवं 35 प्रतिशत अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी निर्धारित की जाती है।

6.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये बीयर की एक्स ब्रूवरी प्राइस (EBP) में 10 रूपये प्रति केस वृद्धि की जाती है।

6.3 बोटलिंग अनुज्ञापन फीस -

6.3.1. भानिविम, राजस्थान निर्मित मदिरा (RML) तथा देशी मदिरा की समस्त प्रकार के लाईसेन्स में बोटलिंग फीस 6.50 रूपया प्रति बल्क लीटर देय होगी। बीयर के लिये समस्त प्रकार के लाईसेंस में बोटलिंग फीस 4 रूपये प्रति बल्क लीटर देय होगी।

6.3.2. सभी प्रकार की मदिरा बोटलिंग के लियेफ्रेन्चाईजी अनुबन्ध में फ्रेन्चाईजी फीस मूल लाईसेंस फीस का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

6.4 राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 68(10) के तहत डिनेचर्ड स्प्रीट का लाईसेन्स 3 वर्ष के लिये भी एक साथ दिया जाना प्रावधीत किया जाता है। जिसकी एकमुश्त फीस राशि 1.00 लाख रूपये होगी।

6.5 राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 69(ठ) के Serial Number 6 में प्रावधित स्प्रीट एवं ऐथेनोल की आयात फीस से पेट्रोलियम कम्पनियों को Blending उद्देश्य से लाने पर छूट दी जाती है।

6.6 आबकारी ड्यूटी पर सरचार्ज - वर्तमान में समस्त मदिरा उत्पादों पर पात्र की साईज के अनुसार भिन्न-भिन्न दर से सरचार्ज वसूल किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा (IMFL) तथा विदेशी आयातित मदिरा (BIO) के अलावा अन्य आबकारी उत्पादों पर उक्त सरचार्ज को समाप्त किया जाता है।

(7) निर्माण इकाईयों की लाईसेंन्स फीस का निर्धारण:-

निर्माण इकाईयों की वर्तमान में प्रचलित वार्षिक लाईसेन्स फीस को उत्पादन क्षमता के आधार पर निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः-

किस्म अनुज्ञापत्र	उत्पादन क्षमता (किलो लीटर में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस2020-21(लाख रुपये में)	वार्षिक लाईसेन्स फीस 2021-22 (लाख रुपये में)
डिस्टलरी (प्रतिदिन आंकडे)	30 तक 30 से अधिक एवं 50 तक 50 से अधिक एवं 75 तक 75 से अधिक	40.00 50.00 60.00 65.00	45.00 55.00 70.00 75.00
ब्रेवरी (प्रतिवर्ष आंकडे हजार किलो लीटर में)	30 तक 30 से अधिक एवं 50 तक 50 से अधिक एवं 75 तक 75 से अधिक	35.00 40.00 55.00 65.00	40.00 45.00 65.00 75.00
बोटलिंग प्लांट	देशी मदिरा भराई भा.नि.वि. मदिरा भराई वाईनरी भराई	3.50 10.00 0.40	4.00 12.00 0.50
हेरीटेज प्लांट		8.00	8.00
वाईनरी		0.80	1.00

वर्तमान में कार्यरत एवं अनुज्ञाप्तिधीन डिस्टलरी, ब्रेवरी, वाईनरी, हेरीटेज शराब निर्माण ईकाइ एवं बोटलिंग प्लान्ट के अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण तथा नई स्थापित होने वाली ईकाइयों के लिये वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल क्षमता का वास्तविक उपयोग कम होने पर उस सीमा तक अगले वर्ष की फीस में कमी की जायेगी।

(8) हेरीटेज मदिरा:-

वर्तमान में राजस्थान हेरीटेज मदिरा के सीमित उत्पादन है। इसका उत्पादन राजस्थान गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र की एक हेरीटेज डिस्टलरी द्वारा किया जाता है। हेरीटेज मदिरा के उत्पादों में विविधता लाने एवं उत्पाद को अन्य राज्यों तथा विदेशों में निर्यात की सम्भावना बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे आबकारी राजस्व में भी वृद्धि होगी। इसके लिये निम्नानुसार नीतिगत निर्णय लिये जाते हैः-

8.1 हेरीटेज मदिरा पर आबकारी ड्यूटी संशोधन: हेरीटेज मदिरा पर वर्तमान में ली जाने वाली अतिरिक्त आबकारी ड्यूटी समाप्त की जाती है।

8.2 हेरीटेज मदिरा को बढ़ावा देने के लिये RSGSM द्वारा अन्य राज्यों एवं विदेश में वितरण एवं मार्केटिंग हेतु फ्रेन्चाइजी नियुक्त करने हेतु RSGSM Ltd. को अधिकृत किया जाता है।

(9) रिटेल ऑन (Retail-on) होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार:-

9.1. होटल बार:

9.1.1सभी श्रेणी के होटल बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंम्भिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

Initial Fee for Hotel/Club Bar

S.No.	Category		Initial Fee for Year or Part there of (Rs. in Lac) Basic Licence Fee 2021-22		
1	2		3		
1.	Luxury Hotel/Train:				
	(i)	Five Star Hotel	16.00		
	(ii)	Four Star Hotel	11.00		
	(iii)	Three Star Hotel	8.50		
	(iv)	Luxury Train	8.50		
2.	Heritage Hotel : Situated in and within:		**Upto 10 Rooms**	**11 to 25 Rooms**	**More than 25 Rooms**
	(i)	Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, MT Abu, Jaisalmer and limit upto 10 KM periphery of Kumbhalgarh Fort	3.00	3.50	4.00
	(ii)	Within urbanisable limit of other Divisional/District HQS, Bhiwadi, UIT Urbanisable limit; Ranakpur Temple and Ranthambhor National Park's 5 KM periphery limit.	1.50	2.50	3.50
	(iii)	Other areas not covered 2(i) and 2(ii)	0.75	1.25	1.75
3.	Other Hotel : Situated in and within:		**Upto 50 Rooms**	**51 to 100 Rooms**	**More than 100 Rooms**
	(i)	Within urbanisable limit of Jaipur, Jodhpur, Udaipur, MT Abu, Jaisalmer and limit upto 10 KM periphery of Kumbhalgarh Fort	8.00	10.00	15.00
	(ii)	Within urbanisable limit of other Divisional/District HQS, Bhiwadi, UIT Urbanisable limit; Ranakpur Temple and Ranthambhor National Park's 5 KM periphery limit.	6.50	7.50	9.50
	(iii)	Other areas not covered 3(i) and 3(ii)	3.00	3.50	4.00
4.	Civil Club Bar:				
	(i)	In Jaipur, Jodhpur and Udaipur	2.00		
	(ii)	In other Places	1.50		
	Fee for Serial No.4 Civil Club Bar related to Government Servant or News Media Persons shall be granted at 50% of Serial Number 4(i) and 4(ii)				
5.	Commercial Club Bar:				
	(i)	In Jaipur, Jodhpur and Udaipur	8.00		
	(ii)	In other Places	5.00		

Explanation: The counting of rooms for heritage hotel category includes the number of newly constructed rooms and old traditional rooms.

9.1.2 रेस्टोरेंट बारः सभी श्रेणी के रेस्टोरेंट बार अनुज्ञापत्रों की प्रारंम्भिक लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

क्र.सं.	रेस्टोरेंट की श्रेणी		प्रारंभिक फीस वर्ष 2021-22 (रु0 लाख में)
1	2		3
1	वे रेस्टोरेंट जो इन स्थानों पर और इनकी नगरीकरण (Urbanisable) योग्य सीमा में स्थित हो-		
	(a)	जयपुर / जोधपुर मुख्यालय	9.00
	(b)	अन्य सम्भाग मुख्यालय, अन्य जिला मुख्यालय जिसमें नगरपालिका लिमिट माउण्ट आबू, जैसलमेर के नगरीकरण (urbanisable) योग्य सीमा एवं अन्य नगरपालिका, भिवाडी यू.आई.टी. क्षेत्र तथा कुम्भलगढ़ किले के 10 किलोमीटर परिधीय क्षेत्र।	6.50
2	अन्य रेस्टोरेंट जो उपरोक्त (a) से (b) स्थानों में शामिल नहीं।		4.00

9.1.3 वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं आगामी वित्तीय वर्ष में कोविड-19 महामारी का पर्यटन एवं होटल व्यवसाय पर पड रहे विपरीत प्रभाव को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये समस्त श्रेणी के होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञाधारियों को प्रारम्भिक लाईसेन्स फीस में 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है।

9.2 होटल एवं रेस्टोरेंट बार अनुज्ञा पत्रों में सरलीकरण:-

(i) जिन होटल एवं रेस्टोरेन्ट को स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/प्राधिकारी द्वारा होटल/ रेस्टोरेन्ट संचालन का लाईसेन्स जारी किया हुआ हो, वे बार लाइसेंस के लिये पात्र होंगे।

(ii) बार लाइसेंस प्रदान करने के लिये गठित समिति के प्रावधान को समाप्त किया जाता है।

(iii) होटल व रेस्टोरेंट के नवीन आवेदन पत्र के साथ सम्पूर्ण फीस के स्थान पर लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत अग्रिम जमा कराना जो कि लाइसेंस जारी होने पर फीस में समायोजन योग्य होगा। आबकारी आयुक्त द्वारा बार अनुज्ञापत्र जारी करने के 7 कार्य दिवस में संबंधित अनुज्ञाधारी द्वारा शेष फीस जमा कराई जायेगी।

(iv) अतिरिक्त बार काउन्टर हेतु आवश्यक फीस जमा कराते ही ऑनलाइन स्वतः ही स्वीकृति जारी हो जायेगी।

9.3 पत्रकारों, राज्य कार्मिकों से सम्बन्धित क्लब हेतु बार अनुज्ञापत्र के लिए सिविल क्लब हेतु देय वार्षिक फीस का 50 प्रतिशत निर्धारित किया जाता है।

9.4 बार अनुज्ञापत्र धारी के लिए यह आवश्यक होगा कि वित्तीय वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन कर नवीनीकरण कराना होगा अन्यथा आगामी तीस दिन के भीतर अपना

अनुज्ञापत्र विभाग को समर्पित करना होगा। किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा अपना अनुज्ञा पत्र समर्पित नहीं करने पर उसे भविष्य में कभी नवीनीकरण कराने पर बीच की अवधि की पूर्ण अनुज्ञा फीस देनी होगी। समय पर समर्पित कराये गये अनुज्ञाधारी बाद में बीच की अवधि जो भी हो की बिना नवीनीकरण शुल्क के नवीन अनुज्ञा पत्र की तत्समय निर्धारित शुल्क जमा कराकर आवेदन कर हेतु नियमानुसार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए पात्र रहेगें।

9.5 माईक्रो ब्रुवरी -

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन हेतु होटल, रेस्टोरेन्ट एवं क्लब बार अनुज्ञाधारियों को माईक्रो ब्रुवरी स्थापना एवं संचालन की अनुमति दी जाती है। इसकी वार्षिक लाईसेन्स फीस 5 लाख रुपयेएवं आबकारी ड्यूटी 60 रुपये प्रति बल्क लीटर दैनिक उत्पादन क्षमता परनिर्धारित की जाती है। इस संबंधी विस्तृत नियम/निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(10) भांग:-

10.1 बन्दोबस्त प्रकिया-

वर्ष 2021-22 के लिये भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

10.2 समूहों कीसंख्या -

वर्ष 2021-22 में भांग दुकानों के 30 समूह हैं। प्रत्येक भांग समूह में वित्तीय वर्ष 2020-21 में वास्तविक रूप से संचालित हो रही भांग की खुदरा दुकानों की संख्या के समान ही उस भांग समूह विशेष में सम्मिलित दुकानों की संख्या होगी। आवश्यक होने पर आबकारी आयुक्त की स्वीकृति से दुकानों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकेगी।

10.3 आरक्षित राशि का निर्धारण -

वर्ष 2019-20 हेतु निर्धारित अनुज्ञा राशि में 5 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर वर्ष 2021-22 के लिये अनुज्ञाराशि निर्धारित की जायेगी ।

10.4 भांग के रिटेल वेण्डर को प्रत्येक माह की अगली 15 तारीख तक संबंधित आबकारी निरीक्षक को मासिक रिपोर्ट (भांग की प्राप्ति-बिक्री एवं बैलेंस) प्रेषित करना आवश्यक होगा। भांग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षों की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। आबकारी निरीक्षक अपने वृत्त क्षेत्राधिकार में ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित भांग की खुदरा दुकानों का निरीक्षण प्रति 3 माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेंगें। आबकारी निरीक्षक अपने वृत्त क्षेत्राधिकार में नगरीय निकाय क्षेत्र में अवस्थित भांग की खुदरा दुकानों का निरीक्षण प्रति 2 माह में एक बार अनिवार्य रूप से करेंगें।

(11) विभिन्न प्रक्रियाओं का सरलीकरण:-

आबकारी विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के लाइसेंस एवं परमिट सम्बधित पक्षकारों को जारी किये जाते हैं जिन्हें अब ऑनलाइन जारी की जायेगे। निर्धारित समयावधि में जारी न होने पर उसकी स्वतः स्वीकृति (Deemed Approval) मानी जायेगी। उक्त के सम्बन्ध में समय-समय पर विभाग द्वारा Post Audit की जायेगी।

1- होटल एवं रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञापत्र	• होटल बार हेतु कमेटी एवं जांच के स्तरों को कम करना। • होटल बार हेतु अतिरिक्त काउंटर हेतु सरलीकरण। • राशि का रिफण्ड में सरलीकरण। • लाईसेंस की पूर्ण प्रक्रिया का आन लाईन व्यवस्था।
2- ब्रांड लेबल का अनुमोदन व पंजीयन	• पूर्ण प्रक्रिया का ऑन लाईन करना। • वर्तमान में जांच के स्तरों को कम करके दो तक सीमित करना। • नवीनीकरण की प्रक्रिया में सरलीकरण कर बिना अन्तर के लेबल को स्वतः नवीनीकृत (auto renewal) की व्यवस्था।
3- युनिट में परिवर्तन व परिवर्धन	• प्रकिया को पूर्णतः आनलाईन करना। • युनिट ईन्चार्ज से सीधा मुख्यालय फारर्वड व आनलाईन स्वीकृति समय पर। • जांच के स्तर दो तक सीमीत करना।
4- बैंच नम्बर या वाहन संख्या में अन्तर आने पर परमिट संशोधन	• प्रकिया को सीधा युनिट प्रभारी द्वारा आनलाईन क्युआर कोड से परमिट बनाना। • एसएमएस एलर्ट की सुविधा • तुरन्त जांच कर आनलाईन संशोधन की अनुमति
5- परिवहन परमिट में सुधार	• पूर्ण प्रक्रिया का ऑन लाईन करना • क्युआर कोड स्केन से बेचनम्बर आदि की सुविधा। • डिजिटल साईन से जारी करके तुरन्त जारी करना। • जिला आबकारी अधिकारी स्तर से ही निस्तारण।
6- रिफण्ड की प्रक्रिया का सरलीकरण	• वर्तमान नियमों में सरलीकरण कर पूरी राशि जब्त करने की व्यवस्था समाप्त कर कुछ प्रतिशत राशि जब्त कर शेष राशि का तुरन्त प्रतिदाय। • लेखा अनुभाग से आन लाईन रिफण्ड की सुविधा
7- प्रासव का इम्पोट व एक्सपोट आनलाईन	• समस्त प्रकार के प्रासव का आयात व निर्यात अन्य राज्यों से आनलार्हन परमिशन की सुविधा। • इम्पोट फीस में भी सुधार ।
8- मदिरा निर्माण हेतु आवर टाईम परमिशन	• प्रक्रिया का पूर्ण आनलाईन • निस्तारण जिला स्तर से। • मोनिटरिंग हेतु डेश बोर्ड - देरी पर आटो एस्केलेट।

इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।

(12) स्काडा (SCADA)/(IoT) , ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली :-

(i) मदिरा उत्पादन एवं निकासी की व्यवस्था की इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्काडा (Supervisory Control and Data Acquisition-SCADA)] Internet of Things-IoT, ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली द्वारा नियंत्रित करने की कार्यवाही प्रचलित की जावेगी जिसमें होलोग्राम से युक्त क्युआर कोड सहित सूचनाओ को दर्ज करके इस हेतु ट्रेक एवं ट्रेस की प्रणाली अपनायी जावेगी।

(ii) इस व्यवस्था के अन्तर्गत आसवनियों (Distillaries)/यासवनियों (Breweries) एवं बाण्ड धारक ईकाईयों में बाटलिंग/आयात के स्तर से मदिरा के विभिन्न ब्रांड एवं धारिताओं को रिटेल स्तर तक इलेक्ट्रानिक प्रणाली द्वारा ट्रेक एण्ड ट्रेस किये जाने की व्यवस्था से सुदृढ किया जावेगा। अतः आसवनियों/यासवनियों, थोक अनुज्ञापनों तथा फुटकर अनुज्ञापनों के स्तर पर स्काडा (SCADA)] IoT, ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली हेतु आवष्यक व्यवस्था को अनिवार्य किया जाता है।

(iii) मदिरा उत्पादन ईकाइयों में जैसे-जैसे स्काडा (SCADA)] IoT स्थापना हो जाती है, वैसे-वैसे उनमें आबकारी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को चरणबद्ध हटाया जायेगा।

(iv) रिटेल दुकानों पर POS मशीन एवं बिलिंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जायेगा।

(v) RSGSM एवं RSBCL के गोदामों को आवश्यकतानुसार एकीकृत कर आधुनिकीकरण किया जायेगा।

(13) आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2021-22 का क्रियान्वयन एवं प्रभावी दिनांक 1 अप्रेल 2021 से होगा। परन्तु, आबकारी बन्दोबस्त में लगने वाले समय एवं उक्त नीति के अन्तर्गत जारी होने वाले विभिन्न अनुज्ञापत्रों की फीस सम्बन्धित आबकारी नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 से पूर्व राजकोष में जमा करायी जानी आवयश्क होती है, अतः तद्नुसार इसमें कार्यवाही दिनांक 1 अप्रेल, 2021 से पूर्व सम्पादित होगी।

(14) आबकारी बन्दोबस्त के अर्न्तगत आवंटित की जाने वाली दुकानों के अनुज्ञापत्र राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/स्थानीय निकायों/अन्य किसी भी राजकीय अथवा अर्द्धराजकीय संस्थान में सेवारत व्यक्तियों/ जन सेवकों को राजकीय अधिकारिता के अलावा व्यक्तिगत क्षमता में जारी नहीं किया जायेगा।

(15) रिटेल लाईसेन्स की शर्तों के उल्लंघन पर राजस्थान आबकारी अधिनियम की धारा 58सी के तहत अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय करने पर तथा निर्धारित समय से अतिरिक्त समय पर दर्ज होने वाले अभियोगों में अनुज्ञा पत्र निलम्बन/निरस्तीकरण किया जाने का प्रावधान किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त अनुज्ञा पत्र की अन्य शर्तों के उल्लंघन करने पर अनुज्ञाधारी को सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(16) मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश:

(i) **दुकानें खोलने का समय:** राज्य में मदिरा की अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off**)** दुकानें खुलने (10.00 बजे प्रातः) व बन्द(रात्रि 8.00 बजे) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) **मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाहीः** मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने के लिये विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों /बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।

(iii) **मदिरा पात्रों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन:** मदिरा के बोतल, अद्धा एवं पव्वा पर चिपकायें जाने वाले लेबल पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित फोन्ट साईज में ''मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं" की सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) **अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक के प्रयासः** 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थों की बिक्री न होने देने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

(v) **दुकानों पर मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनीः** दुकान के बाहर सुस्पष्ट रूप से मदिरा की अद्यतन मूल्य सूची एवं मदिरा उपभोग के दुष्प्रभाव की चेतावनी को प्रदर्शित करना अनिवार्य किया जायेगा।

(vi) **दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोकः** दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करने की अनुमति नही दी जायेगी।

(vii) **नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसारः** नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार-प्रसार किया जायेगा। इस हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व का 0.1 प्रतिशत भाग (न्यूनतम 10.00 करोड़ रूपये) आरक्षित कर इससे शराब सेवन से होने वाली हानियों/दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य को जागरूक किये जाने हेतु प्रभावी अभियान चलाया जायेगा। आवश्यकतानुसार उक्त आरक्षित राशि का उपयोग मद्यसंयम प्रयोजनार्थ चिकित्सकीय/जॉच उपकरणों पर भी किया जा सकेगा।

(viii) **सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्मानाः** सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2013 में जुर्माने संबंधी प्रावधान को बढ़ाया गया है। संशोधित प्रावधान के अनुसार उल्लंघनकर्ताओं पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(ix) समीपवर्ती राज्यों की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगीः-

(a) सीमावर्ती जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।

(b) इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की मुखबिरी किये जाने की विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी।

(c) 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(d) सीमावर्ती जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये सम्भाग स्तर पर आई जी रेन्ज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी । इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

(e) निकटवर्ती राज्यों की नीतियों, जिनके कारण राजस्थान में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में राज्य सरकार के स्तर पर संबंधित राज्य की सरकार के साथ संवाद स्थापित कर शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(x) राज्य में नशा मुक्ति केन्द्रों का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जावेगा, जिसके लिए आवश्यक बजट आबकारी विभाग द्वारा किया जावेगा एवं राज्य में नशे की लत एवं इससे मुक्त होने की स्थिति का प्रतिष्ठित संस्थान से अध्ययन भी कराया जायेगा।

(17) शुष्क दिवस:

वर्तमान में निर्धारित 5 शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती को वित्तीय वर्ष 2021-22 में यथावत रखा जायेगा।

(18) अवैध शराब के सेवन के परिणामस्वरूप होने वाली दुखान्तिकाओं के लिये उत्तरदायित्व एवं प्रबोधनः-

18.1 आबकारी निरोधक दल का जिला स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी को नियंत्रण अधिकारी बनाया जायेगा।

18.2 शराब दुखान्तिका की घटना की गम्भीर प्रकृति को देखते हुये निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया घटना के लिये उत्तरदायी माना जाकर तत्काल निलम्बित करते हुये, समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

(i) संबंधित जिला का जिला आबकारी अधिकारी

(ii) आबकारी निरोधक दल का जिला स्तरीय अधिकारी यथा-सहायक आबकारी अधिकारी/उपनिदेशक निरोधक दल।

(iii) संबंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का प्रहराधिकारी/सहायक निदेशक।

(iv) संबंधित क्षेत्र के आबकारी थाने का बीट कॉस्टेबल।

(v) संबंधित क्षेत्र के जिला पुलिस का उप अधीक्षक पुलिस।

(vi) संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का थानाधिकारी।

(vii) संबंधित क्षेत्र के पुलिस थाने का बीट कॉस्टेबल।

(19) आबकारी विभाग की प्रशासनिक प्राथमिकतायें:

(i) पड़ौसी राज्यों विशेषतः पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से आने वाली अवैध मदिरा को रोकने एवं प्रभावी कार्यवाही के लिये राज्य में आबकारी थानों का पुर्नगठन किया जायेगा।

(ii) आबकारी निरोधक दल हथकड़ व अवैध मदिरा को रोकने के लिये कार्य करेंगे। मदिरा दुकानों पर उनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा।

(20) आबकारी बन्दोबस्त, मद्य-संयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेगे।

आगामी बंदोबस्त दिनांक 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।

टी. रविकान्त

शासन सचिव,

वित्त (राजस्व) विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।